भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **:** **920**

**28** जुलाई, 20**1**5 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्‍तर

**सीजीएचएस यूनानी प्रणाली के लिए बजट आबंटन**

**920.** **श्री गुलाम रसूल बलियावी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और चालू वर्ष में सीजीएचएस यूनानी प्रणाली के लिए किए गए बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि यूनानी प्रणाली के समुचित एवं त्वरित विकास के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)

(क): सीजीएचएस यूनानी प्रणाली हेतु अलग से निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं तथा संपूर्ण व्यय सीजीएचएस बजट से पूरा किया जाता है।

 यूनानी औषधियों हेतु बजट का अलग से आवंटन दिल्ली व एनसीआर के लिए किया गया है; जो निम्न प्रकार है:-

 (रु. हजार में)

|  |  |
| --- | --- |
| 2012-13 | 6,000 |
| 2013-14 | 4,000 |
| 2014-15 | 10,000 |
| 2015-16 | 10,000 |

अन्य शहरों में यूनानी औषधियों हेतु अलग से बजट का आवंटन नहीं किया गया है।

(ख): यूनानी प्रणाली हेतु निधियों की कोई विशिष्ट कमी नहीं है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*